# नई दिल्ली, 29 मई, 2019

सा.का.िन. 179.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में कलाकार के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (कलाकार), समूह-ग पद, भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. **भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी प्रत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
    उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या	सीधी भर्ती किए जाने
			स्तर या वेतनमान	अचयन	वाले व्यक्तियों के लिए
				पद	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कलाकार	1(एक)* (2019)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार पर	सेवा, समूह 'ग',	स्तर-4	होता	
	परिवर्तन किया जा	अराजपत्रित,	(रु. 25500-		
	सकता है ।	अननुसचिवीय	81100)		

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धितः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)
			तायवा चाहरा)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
प्रितिनयुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)  ा. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पिल्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:  (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पदधारण किया हुआ है; या  (ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर-3 में (रु. 21700-69100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और  (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:  (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण;	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(2) किसी मान्यताप्राप्त कला और शिल्प विद्यालय से कला में डिप्लोमा ।		

[फा. सं. ए.11018/14/2016-एमएच-II] जी.पी. सामंत, अवर सचिव

### New Delhi, the 29th May, 2019

- **G.S.R.** 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981,in so far they relate to the post of Artist, in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi (Artist), Group-C post, Recruitment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- **2. Number of post, classification, level in pay matrix or pay scale.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay	Whether	Age-limit for
post			scale	selection post	direct recruits
				or non-	
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Artist	1(One)* (2019)	General Central	Level 4 in the pay matrix.	Not	Not
	*Subject to	Service, Group 'C',	( Rs. 25500-81100)	applicable	applicable
	variation dependent	Non-Gazetted, Non			
	on workload	Ministerial			

Educational and other	Whether age and	Period of probation, if	Method of recruitment,
qualifications required for	educational qualifications	any	whether by direct recruitment
direct recruits	prescribed for direct		or by promotion or by
	recruits will apply in the		deputation/absorption and
	case of promotees.		percentage of the vacancies to
			be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including
			short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which	1	Circumstances in which Union Public Services
promotion or deputation/ absorption to be made,	composition?	Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract) (I) Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertakings or University or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or	Not applicable	Not applicable

(ii) with five years regular service in level 3 in	
the pay matrix (Rs. 21700-69100); and	
(b) possessing the following qualifications and	
experience :-	
1) 12 <sup>th</sup> standard pass from a recognised Board;	
2) Diploma in Arts from a recognised School of	
Arts and Crafts.	

[F. No. A.11018/14/2016-MH-II] G.P. SAMANTA, Under Secy.

# नई दिल्ली, 30 मई, 2019

- सा.का.िन. 180.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह-ग पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक वार्डन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायक वार्डन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है । उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी I

- 5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी I
- **6. व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।